न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामा जिला भरतपुर
व इजलाश श्री विनोद कुमार मीणा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 02/18

खतीजा उर्फ सतीवी पुत्र छोटल्ली पत्नि हारून जाति मेव निवासी ग्राम विलंग तहसील कामां हाल आबाद ग्राम आलीमेव तहसील हथीन जिला पलवल हरियाणा ।

अपीलान्ट

बनाम

1—रत्ती खां
2—अब्दुल सत्तार पिसरान छोटल्ली जाति मेव निवासी ग्राम विंलग तहसील कामां
3—ग्राम पंचायत विलंग जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बिलंग तहसीलदार कामां

रेस्पोडन्टस

अपील अपीलान्ट विरूद्ध दाखिल खारिज संख्या 882दिनांक 21.01.1981 ग्राम पंचायत विलंग पंचायत समिति कामां

उपस्थित अधिवक्ता
श्री रूपसिंह अपीलान्ट
श्री दुर्गादास रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 8.02.2021

अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अपील दाखिल खारिज संख्या 882 दिनांक 21.01.1981ग्राम पंचायत विलंग के आ0ख0नं0 721/0.23,849/0.02, 850/0.23, 1459 / 663/0.15, 1466/679/0.24, 1484/732/0.21, 1596/934/0.01, वाके ग्राम बिलंग तहसील कामां पेश की गई । अपील का सार यह है कि आराजी मुतनाजा छोटल्ली के खातेदारी की थी जिसका सजरा छोटल्ली के वारिसान रैस्पोडेन्ट रत्ती, अब्दुलसत्तार, अपीलान्ट खतीजा उर्फ सतीवी पुत्री सजदी पत्नि (मृतक) पेश किया है । आराजी मुतनाजा छोटल्ली के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी । जिसको अपने जीवनकाल तक काश्त करता चला आ रहा है । उसके दो लडके व एक लडकी व पत्नी सुगदी थी जिसकी मृत्यु हो गयी । छोटल्ली की मृत्यु के बाद उसके जायज वारिस जायदाद अपीलान्ट व रेस्पो सं0 एक व दो आराजी मुतनाजा पर बतौर अपने अपने हिस्से के मुताबिक काश्त करते चले आ रहे हैं तथा छोटल्ली के फोत हो जाने के बाद उसकी विरासत का दाखिल खारिज राजस्व कर्मचारियों की भूलवश उसके दो लडके रेस्पो0 सं0 एक व दो के नाम दर्ज कर दिया था जो कानून खिलाफ था । दाखिल खारिज नम्बर 882 दिनांक 21.1.1981 विरासत फैसल करा लिया जबकि छोटल्ली के सभी वारिसानों के नाम दर्ज होने चाहिये व अपीलान्ट का भी नाम दर्ज होना चाहिये था जो बिना जांच किये तस्दीक करा लिया क्यों कि अपीलान्ट एक वारिस पुत्री थी । जिसका नाम भी दाखिल खारिज होना चाहिये था । वारिसानों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिये था । दाखिल खारिज नम्बर 882 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने के सबब भी निरस्त किये जाने योग्य है ।

अपीलान्ट हर बार की भांति अपने हिस्से की आराजी को देखने के लिए दिनांक 15.5.2018 को ग्राम विंलग आई थी, तो रेस्पोडेन्ट सं0 एक व दो ने अपीलान्ट से कहा कि आराजी भूमि समस्त रकवा हमने अपने नाम करा ली अब तू खेत पर मत आना तथा ऐलानिया धमकी दी अगर तूने आराजी पर पांव रखा तो हम जान से खत्म कर देंगें ।

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर) राज०

Scanned with CamScanner

दाखिल खारिज नम्बर 882 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने के सबब भी निरस्त किये जाने योग्य है ।

अपीलान्ट हर बार की भांति अपने हिस्से की आराजी को देखने के लिए दिनांक 15.5.2018 को ग्राम विलग आई थी, तो रेस्पोडेन्ट सं0 एक व दो ने अपीलान्ट से कहा कि आराजी भूमि समस्त रकवा हमने अपने नाम करा ली अब तू खेत पर मत आना तथा ऐलानिया धमकी दी अगर तूने आराजी पर पांव रखा तो हम जान से खत्म कर देगें । अपीलान्ट पटवारी हल्का से मिली और राजस्व भू अभिलेख की जानकारी प्राप्त की तो उक्त दाखिल खारिज नं0 882 के बारे में हुई । अपील अपीलान्ट के साथ दस्तावेज नकल नामान्तकरण संख्या 882 दिनांक 21.1.1981 एवं जमाबन्दी सं0 2069 लगा0 2072 बिना देरी से पेश किये हैं ।

अतः दाखिल खारिज नम्बर 882 दिनांक 21.01.1981 आदेश पंचायत बिलंग को निरस्त कर अपीलान्ट के नाम राजस्व भू अभिलेख में इन्द्राज किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । रैस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 की ओर श्री प्रीतम सिंह व दुर्गाप्रसाद एडवाकेट उपस्थित आये । जबाव के लिए बार बार समय चाहा गया । जबाव के लिए समय दिये जाने बावजूद जबाव पेश नहीं किया। अतः पत्रावली बहस में लगाई गई । अपीलान्ट ने अपने अपील को साबित करने के लिए नामान्तकरण संख्या 882 दिनांक 21.1.1981 एवं जमाबन्दी सं0 2069 लगा0 2072 वाके ग्राम बिलंग पेश की ।

उभयपक्षकार वकील की बहस सुनी गयी । अपीलान्ट ने अपनी अपील के लिखित तथ्यों को बहस में दोहराया । अपील कि अपीलान्ट छोटल्ली की वारिस है । जिसका नाम दाखिल खारिज नम्बर 882 दिनांक 21.1.1981 में दर्ज नहीं किया गया । जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्ध होने के कारण दाखिल खारिज निरस्त योग्य है । रेस्पोडेन्ट के वकील ने अपने लिखित बहस में अवगत कराया कि अपीलान्ट अपील 21.1.1981 ग्राम पंचायत विलंग के आदेश के खिलाफ है जो 37 साल पुरानी है । जो म्याद बाहर है । दिनांक 21.1.1981 की जानकारी पटवारी हल्का होना बताया तथा प्रार्थना पत्र के साथ कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया है । शपथ पत्र के अभाव में अन्दर म्याद नहीं मानी जा सकती है । मुटेशन फिसकल प्रोसेजन है अपीलान्ट के हक के अधिकार है तो उसके लिए पृथक से दावा करना चाहिये था । अपील के माध्यम से 37 साल बाद के हक व अधिकार तय नहीं किये जा सकते है । अतः अपीलान्ट अपील खारिज फरमायी जावे ।

हमने अपीलान्ट द्वारा पेश अपील व उभयपक्ष द्वारा पेश साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की बहस का मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलान्ट द्वारा अपील विवादित नामान्तकरण के स्वीकृत होने के लगभग 37 साल बाद पेश की गई है । अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश की है । जिसमें अपीलान्ट ने विवादित नामान्तकरण की जानकारी 22.5.2018 को होना बताया है । अर्थात नामान्तकरण स्वीकृती के लगभग 37 वर्ष वाद नामान्तकरण की जानकारी होना बताया है, लेकिन अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम में देरी से जानकारी का कोई कारण नहीं बताया है ।

अतः आदेश है कि अपीलान्ट की अपील म्याद बाहर होने के कारण खारिज की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2021 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया । पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

(विनोद कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर)

Scanned with CamScanner